न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2026/ 723 दिनांक – 19/02/2026

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 गंगादेवी पत्नि मूलाराम जाति जाट निवासी सुथारों का कुआ, हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर।		1 खेराज पुत्र चिमा निवासी सुथारों का कुआ, हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :–702/2025 दिनांक– 10/02/2026

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सुथारों का कुआ पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 854/419 रकबा 2.9137 हेक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2026/ 724–727 दिनांक– 19/02/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी हाथीतला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीनी गंगादेवी पत्नि मूलाराम जाति जाट निवासी सुथारों का कुआ, हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण खेराज पुत्र चिमा निवासी सुथारों का कुआ, हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर